-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 05.02.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा शराब के नशे में अवैध तमंचे के साथ विवाद कर रहे अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शस्त्रों के संग्रहण,बिक्री व निर्माण करने वालों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। गौरतलब हो कि कल दिनांक 04.02.2025 को देर शाम थाना कोतवाली नगर पर पीआरवी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति शराब के नशे में अवैध तमंचे के साथ विवाद कर रहा है। सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर जाकर देखा गया तो एक व्यक्ति शराब के नशे में तमंचे के साथ विवाद कर रहा है तथा शराब के नशे में गिरने के कारण उसे चोटें भी आयी थी। पुलिस द्वारा तत्काल अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 06 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया तथा उपचार हेतु अस्पताल लाया गया। इस सम्बन्ध में थाना कोतावाली नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को आज दिनांक 05.02.2025 को मा0 न्यायालय भेजा गया।

बरामदगी-

- 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर
- 06 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अरविन्द प्रसाद त्रिपाठी पुत्र ब्रजराज त्रिपाठी निवासी इन्द्रानगर थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 113/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री सुभाष चन्द्र चौकी प्रभारी सिविल लाइन
2. हे0कां0 विमल चन्द्र यादव पीआरवी 0783
3. कां0 धीरेन्द्र आर्या पीआरवी 0783
4. कां0 धरमू पाण्डेय
5. कां0 भागचन्द्र